न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
पीठासीन अधिकारी के0 राम यादव (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर 358/2017 | तारीख दायर 19-12-2017 | तारीख फैसला 12/03/20

उनवान

01. असलम पुत्र नवाब जाति मेव निवासी ग्राम नाखनौल तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

——:: वादी

बनाम

01. जमील
02. बक्स मौहम्मद
03. दिन्ना पुत्र रोशन
04. अकबर पुत्र नबी खां जाति मेव निवासी ग्राम मायापुर तहसील तिजारा जिला अलवर
05. इदरीश पुत्र लाल मोहम्मद जाति मेव निवासी रामपुरा तहसील तिजारा जिला अलवर
06. राज्य सरकार जरिये पैरोकार भूमिधारी तहसीलदार तिजारा तहसील तिजारा
07. शाखा प्रबन्धक बी0ओ0बी0 शाखा टपूकडा जिला अलवर
08. शाखा प्रबन्धक बी0आर0के0जी0 शाखा टपूकडा जिला अलवर

——:: प्रतिवादीगण

दावा तकासमा मय हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:: निर्णय ::–

प्रकरण के सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादी व दावा तकासमा मय हुक्मइम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 68 रकबा 0.42 है0 वाके ग्राम मायापुर तहसील तिजारा जिला अलवर में स्थित है। विवादित आराजी में मिन वादी का 31/36 हिस्सा है शेष आराजी मुताबिक जमाबन्दी हाल प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 का हिस्सा है। आराजी वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की है जिस पर वादी व प्रतिवादीगण शामलात में काबिज काश्त है। सहखातेदारान के मध्य बाई मीटस एण्ड बाउण्डस आज तक कोई तकासमा नहीं हुआ। प्रतिवादीगण आये दिन वादी के कब्जे काश्त की आराजी में मजाहमत मदाखल पैदा करते है। वादी उक्त विवादित आराजीयात में अपने 31/36 हिस्से का तकासमा कराने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द कराने का अधिकारी है कि वे संयुक्त राजस्व रेकार्ड की आड में वादी के शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त में मजाहमत मदाखलत पैदा नहीं करें। आराजी को दीगर लोगों मुन्तकिल नहीं करें। नींव खोदकर कोई निर्माण कार्य नही करें। रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। दावा के साथ सूचि अनुसार दस्तावेज पेश किये।

दिनांक...

5/2/20 | पत्रावली पेश हुई। पक्षकार फरीकैन उपस्थित पूर्वादेशानुसार वास्ते ... दिनांक 11/2/20 को पेश हो।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड समन तलब किया जाकर जवाब दावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। तलबी के उपरान्त प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 अनुपस्थित रहे। प्रतिवादीगण के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। साक्ष्य वादी ली जाकर बहस वकील वादी एक तरफा सुनी गई।

वाद में दिनांक 13-08-2019 को प्रारम्भिक डिकी जारी कर तहसीलदार तिजारा को बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा स्कीम तैयार कर कुर्रे रिपोर्ट प्रेषित करने को आदेशित किया गया। तहसीलदार तिजारा ने जरिये पत्र कमांक एलआर/2020/6155 दिनांक 22-01-2020 कुर्रे रिपोर्ट मय तरमीशुद्वा नक्शा प्रेषित की प्रस्तुत कुर्रे रिपोर्ट पर वकील वादी को सुना गया। वकील वादी ने कुर्रे रिपोर्ट अनुसार दावा फाईनल डिकी किये जाने में अपनी सहमति जाहिर की। इस प्रकार दावा फाईनल डिकी किया जाना न्यायोचित है।

अतः दावा वादी फाईनल डिकी किया जाकर विवादित हाल आराजी खसरा नम्बर 68 रकबा 0.42 है0 वाके ग्राम मायापुर तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0) का विभाजन निम्न सारणी अनुसार किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड हाल में अमल हो।

सारणी

क.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
01.	असलम पुत्र नवाब खां जाति मेव सा0 नाखनौल खातेदार	68/1	0.3616	बा0	3.39
02.	वक्स मोहम्मद जीमल पुत्रान रोशन जाति मेव हि0 2/5 अकबर पुत्र नबी खां मेव 2/5 सा0 देह इदरीश पुत्र लालमोहम्मद जाति मेव सा0 रामपुरा तह0 तिजारा जिला अलवर खातेदार	68/2	0.0584	बा0	0.56

तकसीम शुद्वा नक्शा फाईनल डिकी का जुज होगा। पर्चा डिकी जारी हो।

आदेश सुनाया गया।

प्रतिवादी संख्या 5 इदरीश पुत्र लालमोहम्मद का आराजी खसरा नं0 68/2 मे 1/5 हिस्सा पढ़ा जावे

(के0 राम यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
पीठासीन अधिकारी के0 राम यादव (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर
358/2017

तारीख दायर
19-12-2017

तारीख फैसला
12/03/2020

उनवान

01. असलम पुत्र नवाब जाति मेव निवासी ग्राम नाखनौल तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0) ——:: वादी

बनाम

01. जमील
02. बक्स मौहम्मद
03. दिन्ना पुत्र रोशन
04. अकबर पुत्र नवी खां जाति मेव निवासी ग्राम मायापुर तहसील तिजारा जिला अलवर
05. इदरीश पुत्र लाल मोहम्मद जाति मेव निवासी रामपुरा तहसील तिजारा जिला अलवर
06. राज्य सरकार जरिये पैरोकार भूमिधारी तहसीलदार तिजारा तहसील तिजारा
07. शाखा प्रवन्धक वी0ओ0वी0 शाखा टपूकडा जिला अलवर
08. शाखा प्रवन्धक वी0आर0के0जी0 शाखा टपूकडा जिला अलवर

——:: प्रतिवादीगण

दावा तकासमा मय हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

-:: पर्चा डिक्री ::-

विवादित हाल आराजी खसरा नम्बर 68 रकबा 0.42 है0 वाके ग्राम मायापुर तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0) का विभाजन निम्न सारणी अनुसार किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड हाल में अमल हो।

सारणी

क.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
01.	असलम पुत्र नवाव खां जाति मेव सा0 नाखनौल खातेदार	68/1	0.3616	बा0	3.39
02.	बक्स मोहम्मद जीमल पुत्रान रोशन जाति मेव हि0 2/5 अकबर पुत्र नवी खां मेव 2/5 सा0 देह इदरीश पुत्र लालमोहम्मद जाति मेव सा0 रामपुरा तह0 तिजारा जिला अलवर खातेदार	68/2	0.0584	बा0	0.56

तकसीम शुद्दा नक्शा फाईनल डिक्री का जुज होगा।

प्रतिवादी संख्या 5 इदरीश पु0 लालमोहम्मद का आराजी खसरा नं0 68/2 मे 1/5 हिस्सा पढ़ा जावे।

(के0 राम यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)